



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की मंगलवार, दिनांक 07/01/2014 को समय मध्याह्न 2.30 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.12.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है)
02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
1.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी	B.Com. -II - Compulsory Subjects, Env.Sc.	60	2013-14	1. प्रो. के.एस. पटेल, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर	निरीक्षण तिथि -31.12.2013 शर्तें -
		B.A. -II - Hindi, English, Env.Sc., Geography, History, Sociology	60		2. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, प्रबंधन संस्थान, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर	1. महाविद्यालय के पास अपना भवन नहीं है। महाविद्यालय प्राथमिक शाला के भवन में संचालित हो रहा है।
		B.Sc. -II - Hindi, English, Env.Sc., Chemistry, Botany, Zoology	60		3. प्रो. एन.के. बाघमार, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर	2. छात्रों के लिए अध्ययन कक्ष की संख्या पर्याप्त नहीं है। 3. नियमित प्राध्यापक एवं सात सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं। 4. ग्रंथालय में पुस्तकों को रखने की व्यवस्था नहीं है। 5. प्रयोगशाला की सुविधा नहीं है, उ.मा. शाला के प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य किया जा रहा है। 6. शासन के द्वारा भूमि आबंटन किया गया है। 7. गत वर्ष का बजट आबंटन संलग्न है।

03. स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संशोधित विनियम 129 में (6.1) विहित शुल्क के संबंध में विचार करना।

टीप: अधिसूचना क्रमांक 12941 दिनांक 21.12.2013 के संदर्भ में स्थायी सम्बद्धता के लिए संशोधित विनियम 129 (6.1) में विहित शुल्क के प्रावधान में शुल्क का निर्धारण करने हेतु गठित चार सदस्यी समिति की बैठक दिनांक 03.01.2014 को संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् के कक्ष में सम्पन्न हुई। विहित शुल्क के संबंध में अनुशंसा एवं निरीक्षण समिति का गठन निम्नानुसार है-

- (1) [A] स्नातक स्तर पर प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु आधार पाठ्यक्रम के साथ प्रथम तीन मुख्य विषय के लिए रु. 15,000/- एवं प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रु. 10,000/-

[B] स्नातकोत्तर स्तर हेतु प्रत्येक विषय के लिए रु. 15,000/-

- (2) तीन सदस्यी निरीक्षण समिति का गठन निम्नानुसार प्रस्तावित है –
- | | | |
|--------------------------|---|---------|
| (1) संकायाध्यक्ष | – | समन्वयक |
| (2) अध्यक्ष, अध्ययन मंडल | – | सदस्य |
| (3) विषय विशेषज्ञ | – | सदस्य |

04. एम.एस.सी. बायोसाइंस में स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने एवं विनियम क्रमांक 152 के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप: डॉ. स्मिता गुप्ता, 13, शेषाद्री कालोनी, इंदौर- 452006 ने अपने पिता डॉ. एस.एम. अग्रवाल, Founder Professor of Bioscience के नाम से सत्र 2012-13 एम.एस.सी. बायोसाइंस की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने हेतु बुक/रसीद क्रमांक 4068/51 के द्वारा रूपये 60,000/- आदेशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। इस आशय का प्रस्तावित विनियम 152 का अनुमोदन एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

05. सत्र 2013-14 की वार्षिक संबद्धता हेतु महाविद्यालय की सूची :-

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम
01	नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर
02	दिशा कालेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, चन्दखुरी, विधानसभा रोड, रायपुर

06. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।


कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 12871/अका./वि.प.स्थायी समिति/2013

रायपुर, दिनांक: 17/12/2013

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 16.12.2013 मध्याह्न 12.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	प्रो. ए.के. गुप्ता	-	सदस्य
3.	प्रो. अमिता सहगल	-	सदस्य
4.	प्रो. सी.एल. पटेल	-	सदस्य
5.	प्रो. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
6.	प्रो. स्वर्णलता सर्राफ	-	सदस्य
7.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 23.10.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम-पचेड़ा, चम्पारण रोड, अभनपुर, नया रायपुर	बी.एड.	100	2014-15	निरीक्षण तिथि-18.11.2013 शर्तें - (1) Total Carpet Area -2599.62, तथा Total Build up Area 2948.00 Sqm है जो NCTE Norms के अनुसार पाया गया। (2) प्राचार्य कक्ष, प्राध्यापक कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, काफ्ट हेतु कक्ष, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोग कक्ष, कक्षा संचालन हेतु 3 कक्ष, बहुउद्देशीय कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, कैंटिन की व्यवस्था, छात्रावास (लड़के + लड़कियों हेतु) की सुविधा, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था पर्याप्त। छात्रा एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग प्रसाधन कक्ष उपलब्ध है।	एन.सी.टी.ई.के निर्देशानुसार समयावधि में स्टाफ प्रोफाईल प्रस्तुत करने हेतु महाविद्यालय को सूचना दी जाए तथा स्टाफ प्रोफाईल प्राप्त होने पर नियमानुसार परीक्षण कर सत्यापित करते हुए एन.सी.टी.ई. को अग्रेषित किया जाए। एन.सी.टी.ई. से अनुमति प्राप्त होने पर निरीक्षण समिति द्वारा दर्शायी गई शर्तों की पूर्ति करने पश्चात् पुनः प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					(3) पुस्तकालय में पुस्तकें 3008 तथा जर्नल्स 05 पर्याप्त है। (4) B.Ed Staff के संबंध में सहमति पत्र लिये गये हैं। Staff Profile संलग्न है (5) मनोविज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण पर्याप्त है परंतु Appratus Techistoscope की कमी है	
2	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा रायपुर	एम. ए. अंतिम हिन्दी	30	2013-14	निरीक्षण तिथि - 04.12.2013 1. अध्यापन कक्ष पर्याप्त। 2. दो नियमित शिक्षकों के अतिरिक्त जनभागीदारी मद से दो शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। 3. पुस्तकालय में छात्रोपयोगी पुस्तकें पर्याप्त। 4. फर्नीचर पर्याप्त। 5. एम. ए. पूर्व हिन्दी के परिप्रेक्ष्य में एम. ए. अंतिम हिन्दी के लिए 30 सीट की अनुशंसा की जाती है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने तथा ग्रंथालय में आवश्यकता अनुसार विषयवार पुस्तकों की संख्या प्रस्तुत करने एवं आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति करने के शर्त पर पर संबद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

03. महात्मा गांधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर को नवीन विषय DCA की अस्थयी संबद्धता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : संबंधित महाविद्यालय से जानकारी ली जावे कि 38 कि.मी. दूर स्थित जमीन पर भवन निर्माण कर कक्षाएं कब से संचालित होगा।

04. नारायण राव मेघावले शासकीय कन्या महाविद्यालय, धमतरी के स्थान परिवर्तन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : नारायण राव मेघावले शासकीय कन्या महाविद्यालय, धमतरी के स्थान परिवर्तन की सूचना ग्रहण किया गया।

05. शासकीय नवीन महाविद्यालय बोड़ला, जिला-कबीरधाम के संबद्धता के संबंध में विचार करना ।
निर्णय : शासकीय नवीन महाविद्यालय बोड़ला, जिला-कबीरधाम को बी.ए. द्वितीय, बी.एस.सी. द्वितीय एवं बी.काम. द्वितीय वर्ष में (सत्र 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14) वार्षिक अस्थाई संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।
06. श्यामबालाजी कालेज, प्लाट नं.- 616/89, 716,13,14 ग्राम +पोस्ट - महासमुंद, जिला-रायपुर को सत्र 2014-15 से बी.एड. पाठ्यक्रम 100 सीट के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने के संबंध में विचार करना ।
निर्णय : श्यामबालाजी कालेज, प्लाट नं.- 616/89, 716,13,14 ग्राम +पोस्ट-महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.) को सत्र 2014-15 से बी.एड् 100 सीट प्रारंभ करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.05.2013 में निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार एवं एन.सी.टी.ई. भोपाल के Recognition Order No. WRC /APP1884 /186th /B.Ed. /2013 /106359 dated 01.08.2013 के आधार पर बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ अस्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।
1. परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 28 फरवरी 2014 तक पूर्ण करें।
 2. ग्रंथालय में पर्याप्त संख्या में संबंधित विषय की पुस्तकें क्रय की जाए।
 3. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
07. आकांक्षा लायंस स्कूल फार मेंटली हैडीकेण्ड, रायपुर को बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अस्थायी संबद्धता प्रदान करने के संबंध में।
निर्णय : आकांक्षा लायंस स्कूल फार मेंटली हैडीकेण्ड, रायपुर (छ.ग.) को सत्र 2014-15 के लिए बी.एड. विशेष पाठ्यक्रम (B.Ed. Spl.Ed. (M.R.)) 1 Year Course-25 सीट प्रारंभ करने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ अस्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।
1. परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 28 फरवरी 2014 तक पूर्ण करें।
 2. ग्रंथालय में पर्याप्त संख्या में संबंधित विषय की पुस्तकें क्रय की जाए।
 3. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- प्रवेश प्रक्रिया शासन के नियमानुसार की जावे।
08. बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी के संबद्धता के आदेश में एम.ए. समाजशास्त्र व अंग्रेजी विषयों को विलोपित करने के संबंध में विचार करना ।
निर्णय : प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

01. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	दौलत राम शर्मा शासकीय कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, कसडोल, जि.	M.A. Final - 1. Hindi Leterature 2. English Leterature 3. Sociology 4. History M.Sc. Final 1. Mathemati cs	20 20 20 20 20	2013-14	निरीक्षण तिथि -11.12. 2013 टीप वि.वि. के आदेश क्र. 11795/अका./2013 दि. 2.09.13 के परिप्रेक्ष्य में दि. 11.12.2013 को डी. आर.एस. शास. महा. कसडोल में एम.ए. अंतिम	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने तथा ग्रंथालय में आवश्यकता अनुसार विषयवार पुस्तकों की संख्या प्रस्तुत करने एवं आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति करने के शर्त पर पर संबद्धता दिये
	-बलौदाबाजार -भाटापारा	M.Com. Final	20		हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाज शास्त्र, इतिहास, एम.एस.सी. अंतिम गणित एम.काम. अंतिम सभी में 20 सीट के लिए निरीक्षण किया गया एवं निम्न तथ्य पाये गये : 1. स्थायी प्राचार्य नियुक्त है। 2. महा. में अधोसंरचना उपलब्ध है। (स्वयं का भवन, ग्रंथालय, खेल का मैदान, प्रयोशाला आदि) 3. 05 नियमित सहा. प्राध्यापक, 08 अतिथि व्याख्याता एवं 12 अशैक्षणिक स्टाफ है। 4. LCD एवं 08 कम्प्यूटर, इंटरनेट सुविधा सहित उपलब्ध है। 5. ग्रंथालय में सभी विषयों के 15388 पुस्तकें हैं। 6. महा. में स्नातकोत्तर खोले जाने वाले विषय के कम से कम 20-20 पुस्तकें पाठ्यक्रम में निर्धारित स्तरीय क्रय किये जाने की आवश्यकता है।	जाने की अनुशासा की गई।

02. कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर में परिनियम 34 के अंतर्गत शासी निकाय के गठन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : संबंधित महाविद्यालय के द्वारा परिनियम 28 के अंतर्गत शासी निकाय का गठन किया जावे तथा शासी निकाय के गठन नहीं किये जाने पर परिनियम 28(6)(i)(ii) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई।

03. (A) पात्रता विसंगतियों के लिए विचारार्थ –

- (1) वार्षिक से सेमेस्टर परीक्षा
- (2) सेमेस्टर से वार्षिक परीक्षा

निर्णय : (i) वार्षिक परीक्षा प्रणाली से सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली एवं सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली से वार्षिक परीक्षा प्रणाली में प्रवेश की अनुमति नहीं दिये जाने की अनुशंसा की जाती है। सत्र 2013-14 में दिये गए पात्रता प्रमाण पत्र को निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

(ii) सेमेस्टर पद्धति से प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को पूरा कोर्स होने तक संबंधित महाविद्यालय में ही अध्ययन-अध्यापन कर परीक्षा देना होगा अर्थात् बीच में अन्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अनुमति नहीं दिया जाए।

(B) पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में –

- (1) अलीम (झारखण्ड अधीविद्यापरिषद् राँची से उत्तीर्ण- स्नातक समकक्षता, किंतु ए.आई.यू. सूची में झारखण्ड अधीविद्यापरिषद् राँची सूचीबद्ध नहीं है।)
- (2) पी.जी. डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (दो वर्षीय- इंस्टी.ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर) को पी. जी. के समतुल्यता विषयक (पूर्व में विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 23.02.2012 के क्रमांक 3 में लिये गए निर्णय एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24 मार्च, 2012 के पूरक विषय सूची क्र. 1 में लिये गए निर्णय संलग्न।)
- (3) शास्त्री- संबंधित विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, (दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से अन्य राज्य के महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र को)

निर्णय : (1) ए.आई.यू. की सूची में झारखण्ड अधीविद्यापरिषद् राँची से अलीम उपाधि सूची बद्ध नहीं है, अतः पात्रता नहीं दी जाए।

(2) बी.एड. के लिए न्यूनतम अर्हताएं स्नातक उपाधि है, अतः प्रकरण में बी.एड. में प्रवेश के लिए निर्धारित स्नातक उपाधि के अंक को गणना हेतु मान्य किया जाए।

(3) महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से शास्त्री पाठ्यक्रम (दूरस्थ पद्धति से संचालित) ए.आई.यू. की सूची में नहीं है, अतः पात्रता नहीं दिया जाए।

(C) गोल्ड मेडल – चिकित्सा संकाय के संबंध में निर्णय।


- निर्णय : (1) छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर के निवेदन को स्वीकार करते हुए वर्ष 2013 में गोल्ड मेडल के लिए पात्रता प्राप्त छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा गोल्ड मेडल तैयार कराकर आयुष विश्वविद्यालय को वितरण हेतु दी जाए।
- (2) चिकित्सा संकाय के अंतर्गत स्थापित स्वर्ण पदक छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर स्थानांतरण के संबंध में दानदाताओं से सहमति प्राप्त किया जाए।
- (3) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए प्रदान किये जाने वाले स्वर्ण पदक केवल सेमेस्टर पद्धति के द्वारा अध्ययनरत छात्रों को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर प्रदान किया जाए।
- (4) दानदाताओं के द्वारा स्थापित स्वर्ण पदक संबंधित रेगुलेशन के अंतर्गत सेमेस्टर एवं अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थियों के संयुक्त प्रावीण्य सूची में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाए।

04. सत्र 2012-13 एवं सत्र 2013-14 की वार्षिक संबद्धता हेतु महाविद्यालय की सूची :-

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम
01	शास. महाविद्यालय रामटोला, जिला-राजनांदगांव (2012-13 एवं 2013-14)
02	शास. गजानंद माधव मुक्तिबोध महा. सहसपुर लोहारा, जि.-कबीरधाम (2012-13 एवं 2013-14)
03	शास. शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (2012-13 एवं 2013-14)

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2012-13 एवं सत्र 2013-14 के लिये वार्षिक अस्थायी संबद्धता आदेश प्रदान किया जाए।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 12872/अका./वि.प.स्थायी समिति/2013

रायपुर, दिनांक: 17/12/2013

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



Regulation No. - 152
(E.C. Under - -2014)

Dr. S.M. AGARWAL GOLD MEDAL,
FOUNDER PROFESSOR OF BIOSCIENCE

Donor	-	Dr. Smita Gupta, 13, Sheshadri Colony, Indore- 452006 Mob. No. 9827277740
Value of Endowment	-	Rs. 60,000.00 (Rs. Sixty Thousand Only) B.No./R.No. 4068/51 Dated- 31-12-2013
Award	-	One Gold Medal

1. The Endowment shall be called "**Dr. S.M. Agarwal Gold Medal, Founder Professor of Bioscience**" and it shall be inscribed on one side of the Medal.
2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the Student who secures first position in merit list in **M.Sc. Bioscience** students of University Examination of School of studies of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, provided that the candidate has passed the examination in the first attempt.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, such an examinee who is younger or youngest in age, shall be awarded the medal.
4. The award of Gold Medal shall be effective from examination 2012-2013.

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक \OSS/49/आउशि/समन्वय /2013
प्रति,

रायपुर, दिनांक 03/12/2013

1. कुलसचिव,
पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)
2. कुलसचिव,
सरगुजा विश्वविद्यालय,
सरगुजा (छ.ग.)

Shri. Hemant Shrivastava

On
12/12


विषय :- एन.सी.सी. को वैकल्पिक विषय के रूप में प्रारंभ करने के संबंध में।
संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक-842/49/आउशि/समन्वय/2013 दिनांक 03-08-2013

-----000-----

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके विश्वविद्यालय में एनसीसी को नवीन विषय के रूप में प्रारंभ करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुये आगामी समन्वय समिति की बैठक में उक्त विषय को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने हेतु लेख किया गया है।

कृपया उक्त के संबंध में की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।


(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /49/आउशि/समन्वय/2013
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक /12/2013

1. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर पत्र क्रमांक-5941/एफ-20-4/13/38-1 दिनांक 22.11.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. कर्नल एम.एस. चहल, एनसीसी ग्रुप हेड क्वार्टर, डुंगाजी कालोनी, रायपुर का पत्र क्रमांक-1129/Trg/NCC/Elective Subject/164 Dated 18 Sep 2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।

अध्यक्षक निदेश
6-12-13

7060/15.326
6/12/13

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

202

संचालनालय एनसीसी (राज्य कोष्ठ) रायपुर
डुंगाजी कालोनी

क. 1885/1030/स्था/राज्य/एनसीसी रायपुर दिनांक 27 सितम्बर 2013
प्रति,

कुलसचिव
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर

OMA

Shri Hemalakesh

11/10

विषय : एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में अध्यापन करने के संबंध में ।

संदर्भ : कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क 843/49/आउशि/समन्वय/2013 दिनांक 03.08.2013 एवं दिनांक 26.9.2013 को माननीय उपकुलपति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से इस विभाग के प्रभारी अधिकारी ब्रिगेडियर आर एस कोचर से चर्चा ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में विभाग से प्रभारी अधिकारी द्वारा एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में शासकीय विश्वनाथ यादव ताम्रकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग में अध्यापन प्रारंभ करने हेतु चर्चा की गई । तत्संबंध में दिनांक 11.10.13 गुरुवार को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति कार्यालय में बैठक आयोजित की गई है इस बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों की उपस्थिति प्राथमिक है :-

1. माननीय उपकुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर
2. कुलसचिव पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर
3. अपर संचालक एवं संयुक्त संचालक, संचालनालय, उच्च शिक्षा रायपुर
4. ब्रिगेडियर आर एस कोचर प्रभारी अधिकारी संचालनालय एनसीसी छ0ग0रायपुर
5. कमान अधिकारी 27 छ0ग0बल एनसीसी रायपुर
6. प्राचार्य शासकीय विश्वनाथ यादव ताम्रकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग
7. एनसीसी अधिकारी शासकीय विश्वनाथ यादव ताम्रकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग

Head. Sec.
OMA
01.10.13
R268
30-9-13

650111-8/11
07/10/2013

(आर एस कोचर)
ब्रिगेडियर
प्रभारी अधिकारी
संचालनालय एनसीसी
(राज्य कोष्ठ)
छत्तीसगढ़ रायपुर

डॉ. (श्रीमती) रेणु बत्रा
Dr. (Mrs.) Renu Batra



दूरभाष PHONE कार्यालय OFF : 23238876

फैक्स FAX : 011-23232297

E-mail : renu@ugc.ac.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह ज़फर मार्ग,

नई दिल्ली-110 002 (भारत)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BAHADUR SHAH ZAFAR MARG

NEW DELHI-110 002 (INDIA)

संयुक्त सचिव
Joint Secretary

(BY SPEED-POST/ MOST IMMEDIATE)

D.O.No.F12-1/2012(AC)

April, 2013

-4 APR 2013

Dear Sir/Madam,


As you are aware that Ministry of Human Resource Development (M/HRD) /Ministry of Defence (M/Defence)/University Grants Commission (UGC) has successfully conducted the workshop on "Introduction of NCC as an Elective Subject with Credit Points in select Educational Institutions (Autonomous Colleges)" on 12th March, 2013. The Hon'ble HRM has inaugurated the workshop. It was proposed in the workshop that NCC as an Elective Subject with Credit Points may be introduced in 30 selected Autonomous Colleges from the academic year 2013-14.

I shall be grateful, if you could accord due priority to the matter and help the autonomous colleges under the purview of your university for introduction of NCC as an elective subject with Credit Points.

Yours sincerely,

R. Batra
(RENU BATRA)

The Vice-Chancellor
Pt Ravi Shankar Shukla University
Raipur-492 010



VC 3056
11-4-13

Onid
around

My
Registrar
Autonomous College
पत्र संख्या 5712
11/4

Duty

श्रीपाठ

तुला अर्थनाम 15/4/13

कालिका उपस्थित
पत्र संख्या 5712

श्री मं वलि उल्ला रीजा चुडी होना





PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR

Revised ORDINANCE NO. 170 Ordinance for Semester System

1. *	The Master of Arts/Science/Commerce/ <u>Social work</u> courses shall be spread over four semesters. In each Semester, there shall be theory courses and wherever required practical courses (Laboratory work, semester field work, project work etc.). Written and Practical Examinations shall be completed by the end of the each Semester. There shall be numerical marking in evaluation
2. *	(i) A Candidate who has obtained a Bachelor's degree of this University or of a statutory University recognized by this University as equivalent to the Bachelor's Degree shall be eligible to seek admission in M.A/MSW (<u>Master of Social Work</u>) courses of the University
	(ii) A candidate who has obtained Bachelor of Science (B.Sc.) Degree of this University or of statutory University as equivalent to Bachelor's Degree shall be eligible to seek admission in M.Sc. Courses of the University.
	a) Provided that a candidate shall be eligible for admission in only those subjects which he/she has offered in B.Sc. degree.
	Further provided that:
	b) For admission in M.Sc. Anthropology and Rural Technology there shall be no barrier of subject at B.Sc. level,
	c) For admission in M.Sc. Physics, a candidate must have offered Mathematics at B.Sc. level,
	d) For admission in M.Sc. Electronics, a candidate must have offered Mathematics and Physics in B.Sc. level,
	e) For admission in Bioscience, Biochemistry, Biotechnology and Herbal Science Technology, a candidate must have offered subjects of Biological Science at B.Sc. level. If any difficulty arises in this connection, the matter shall be referred to a committee consisting of Dean of the Faculty and Chairman Board of Studies and Head of subject concerned.
	f) For admission in M.A./M.Sc. Statistics, a candidate must have offered Statistics or Mathematics at B.Sc./B.A. level.
**	g) For admission in M.A. Home Science a candidate must have offered Home Science at B.Sc./B.A. level.
**	h) For admission in M.A. Chhattisgarhi, a candidate must have a graduate of any discipline.
	(iii) A candidate who has obtained Bachelor of Commerce (B.Com.) Degree of this University or of statutory University as equivalent to Bachelor's Degree shall be eligible to seek admission in M.Com. Courses of the University.
3.	Every candidate thus admitted shall pursue regularly the prescribed courses in each of the four semesters successively. The Masters Degree shall be awarded to those candidates who have obtained at least 36% marks in cumulative aggregate in each of four semesters in theory and practical courses separately and a minimum of 20% qualifying marks in each theory course. The successful candidate shall be placed in divisions on the following basis:



PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR

	An aggregate of 60% or above-I Division
	An aggregate of 48% or above – II Division
	An aggregate of 36% or above – IIIDivision
4.	<p>A student failing to appear or securing less than 36% aggregate or obtained less than 20% marks in any of the theory course of I, II & III semester examinations shall be allowed to pursue the courses for the next following semester. Such students shall have failed or failed in aggregate (with ATKT) or ATKT status in I, II, III or IV semesters and their scheme of examination shall be as follows:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) A student failing to qualify the examinations of any semester shall be permitted to appear in the ATKT/ reexamination along with the following semester examination.(ii) A student who has failed in ATKT/ reexamination shall reappear as ex-student.(iii) A student who has been admitted to any semester but fails to fill up examination form of that semester examination or debarred to take examination due to short attendance or any other reasons, then he/she shall have to take re-admission and appear at that examination.(iv) ATKT provision shall be in three papers of one semester with maximum three attempts only (1 main + 2 ATKT).(v) The provision of revaluation will not be available; however, a student may apply for re-totaling.
5.	<ul style="list-style-type: none">a) There shall be 20% internal and 80% external evaluation in both theory and practical examinations.b) The examination and evaluation shall be on internal/external basis. The theory papers may be examined externally up to 50% maximum. Practical examination shall be conducted jointly by internal and external examiners.
6.	The examination for the first and the third semester shall ordinarily be completed by the end of December and examinations for the second and the fourth semesters shall ordinarily be completed by the end of May each year:
7.	The examination shall be held in all subjects as approved by the University from time to time.
8.	There shall be no provision for division improvement under the examinations of this ordinance
9. *	<p>The matters not covered in Acts Ordinance shall be governed by the Ordinance No.5 & 6 and other provisions of the University rules. The students of M.A./M.Sc./M.Com/MSW(Master of Social Work) classes will be permitted to use calculators in the Examination hall on the following conditions :</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Student will bring their personal Calculators.(b) Calculators with memory and following variables be permitted; Plus, minus, multiplication, division, square, reciprocal, exponential, log, square-root, trigonometric functions, viz, sine, cosine, tangent etc. However, under any circumstances programmable calculators shall not be permitted.

*Approved by the 21st Co-ordination committee at its meeting held 29-01-2013.

**Approved by the 22nd Co-ordination committee at its meeting held 29-06-2013.